

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
कमांक :- प.10(37)आयु./2018 पार्ट-III

जयपुर, दिनांक :-

--: संशोधन आदेश :-

इस विभाग के आदेश कमांक प.10(37)आयु./2018 पार्ट-4 दिनांक 17.05.2018 द्वारा निम्नांकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

क. सं.	आदेश का क.सं.	निरस्त
1.	254	उपेन्द्र नाथ राजकीय आयुर्वेद औषधालय, जालसू जयपुर अ क्षेत्र से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सानकोटडा जयपुर अ क्षेत्र किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। 2289 2373

आज्ञा से

(कुन्दन कुमार माथुर)
उप शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

कमांक प.1/प्रति 1/प्रति-1/चिकि0/स्थाना0/2018/8315
प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक 28-5-18

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज0 जयपुर
2. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर
4. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर-अ
5. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सम्बन्धित कार्यालय को जरिये ई-मेल भिजवाने हेतु।
6. सामान्य पत्रावली

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक